

शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रूपया 25000/- (पच्चीस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी। इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्तों को पूरी करती हों : -

- क) बिहार के निवासी हो,
- ख) राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से दिनांक 25.04.2018 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो,
(सामान्य, तकनीकी, व्यवसायिक पाठ्यक्रम में)
2. राज्य के अंगीभूत एवं मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों (खुला विश्वविद्यालय सहित) से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष (आलिम, शास्त्री सहित) उत्तीर्णता प्राप्त छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है।
3. स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाईन पोर्टल एवं मोबाईल एप्प से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन पोर्टल का पता **ekalyan.bih.nic.in** है। मोबाईल एप्प को गुगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाईल एप्प का नाम **MKUY (SNATAK)** है। ऑनलाईन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाईन निर्देशों का पालन करें। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक को मोबाईल पर सूचना प्राप्त होगी, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से जाँचोंपरांत विभाग के स्तर से राशि लाभुक के खाता में अंतरित करने की कार्रवाई की जायेगी। योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार में अवस्थित किसी शाखा में हो।
4. नव स्थापित विश्वविद्यालयों (पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया) से संबंधित महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का निष्पादन उनके पैत्रिक विश्वविद्यालय से किया जायेगा।
5. योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट **Educationbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु हेल्पडेस्क नं०-06122230059 एवं मोबाईल संख्या-7991188031 पर संपर्क किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं०- 8292825106, 7004360147, 9570646070 एवं ईमेल **dbtbiharapp@gmail.com** पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।